Q.no

1 C

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख संशोधनों की व्याख्या कीजिए? (200 W)

उपभोक्ता, जो किसी वस्तु को क्रय करता है या सेवा लेता है उसे उपभोक्ता कहते है। इनके संरक्षण के लिए 1986 में अमेरिका से प्रेरित होकर एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को संरक्षण एवं जागरूक करना है।

हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ है —

1. उपभोक्ता - जो किसी वस्तु का उपभोग करता है या सेवा लेता है वह उपभोक्ता है वह ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग, बहुस्तरीय विपणन बाजार आदि से वस्तुएं खरीदता हो तो उसे संरक्षण प्रदान किया जायेगा। लेकिन इसमें वाणिज्य कार्य से ली गई सेवा को शामिल नहीं किया गया।

BHOPAL
Established since:1990

2. इस अधिनियम में उपभोक्ता के छः अधिकार है

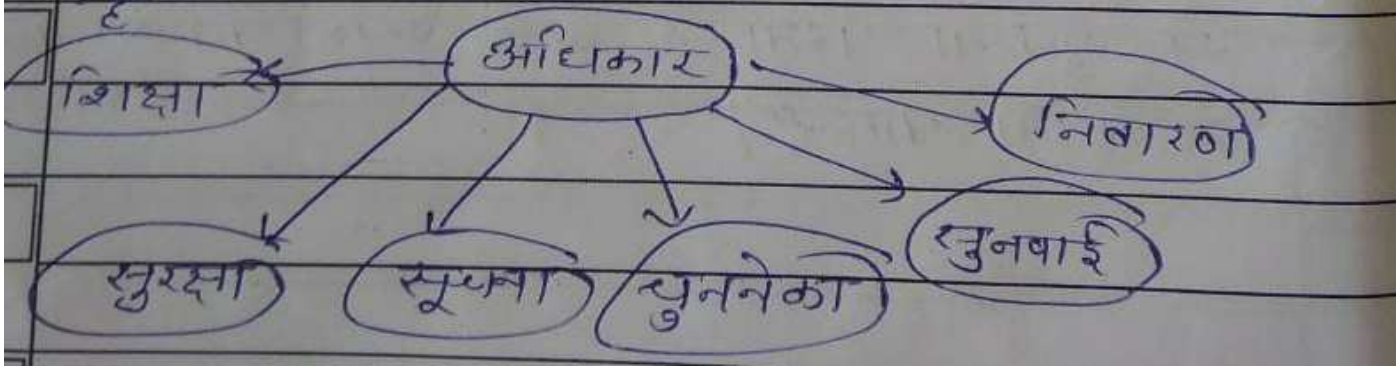

3. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - यह सरकार द्वारा स्थापित किया जायेगा जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण प्रदान करेगा।

4. भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना - इसमें भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख तक का जुर्माना एवं दो साल का कारावास हो सकता है और इसके पश्चात 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

5. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की जायेगी।

6. सी. डी. आर. सी. के अधिकार - (CDRC)

→ राष्ट्रीय स्तर पर - 10 करोड़ से अधिक के मामले

→ राज्य स्तर पर - 1 करोड़ से 10 करोड़ तक

→ जिला स्तर पर - 1 करोड़ तक के मामले

7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रमुख त्रुटियां -

i- बिल या रसीद जारी करने में विफलता

(ii) 30 दिनों के भीतर किसी वस्तु का रिटर्न स्वीकार करने से इनकार
(iii) विश्वास में दी गई व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा।

निष्कर्षतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कमियों को दूर करता है और यह उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए लाभदायक होगा लेकिन इसमें किसी प्रकार के कारावास का प्रावधान नहीं है इसमें सिर्फ उपभोक्ता के संरक्षण (उसके से उसे हर्जाना वापस) से है। अतः इसे विस्तृत करना चाहिए।

BHOPAL
Established since:1990